(1)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, India *that is* भारत

पत्रांक– 500/ 12नि0 दिनांक– 16-2-21

सेवा में,

जिलाधिकारी
बिजनौर

विषय :– मैसर्स इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद, मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद को खसरा सं.–24 के हिस्से वाली भूमि, ग्राम ज्योठी (एसएच–12) तहसील धामपुर पर प्रस्तावित ग्रामीण रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर का पत्रांक 1830/जि0पू0अ0– एन0ओ0सी0/2020 दिनांक 07.09.2020 एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 258/154एम(रामपुर)–मु0क्षे0/20–21 दिनांक 19.01.2021

Provisional NOC : To be regularized after fulfillment of constructions requirement at site

महोदय,

पानीपत–खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग सं–12) के किमी0 151, ग्राम–ज्योठी, तहसील–धामपुर, जिला–बिजनौर के खसरा सं.– 24 पर मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर की दूरी पर पैट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक 258/154एम(रामपुर)–मु0क्षे0/20–21 दिनांक 19.01.2021 *(सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है)* द्वारा संलग्न शर्तो के साथ प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (Provisional) जारी किया गया है। Provisional NOC की वैधता अवधि पूर्ण होने के पूर्व आवेदक द्वारा संलग्न बिन्दुओं पर अनुपालन पूर्ण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर से पुष्टि कराया जाना आवश्यक होगा।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :–
1– मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्र की सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ सं. 2 व 3)
2- मानचित्र एक प्रति में (पृष्ठ सं. 4)
कुल पृष्ठ (1+2+1 = 4)

वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम० डी०)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
दिल्ली रोड, एन. एच.24
Delhi Road N.H. 24
(उ० प्र०) 244102 (U.P.)

(सुनील सागर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर

पत्रांक .... / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सहायक अभियन्ता तृतीय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर।

2– अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर

(2)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 258 /154एम(रामपुर)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक- 19.1.21

डायरी क्रमांक 3244
फाईल नं0 ... 16/10
दिनांक 30/01/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बिजनौर।

विषय :- **मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय मुरादाबाद को खसरा संख्या-24 के हिस्से वाली भूमि, ग्राम ज्योठी (एस0एच0-12), तहसील-धामपुर पर प्रस्तावित ग्रामीण रिटेल आउटलेट (पैट्रोल/डीजल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-60/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 06.01.2021**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 22.86 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-20 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल पानीपत-खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-12) के **चैनेज 150.481 के दायीं** ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक को समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

G:\Dk\World\Petrol Pamp doc

Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (मा० डी०)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन. एच.24
Opp. Cold Storage Delhi Road N.H. 24
मुरादाबाद-244102 (उ० प्र०)
Moradabad-244102 (U.P.)

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, बिजनौर

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये। (3)
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0 2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियों शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियों एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः- 1-मानचित्र एक प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-60/20काम-रा0वृत/20-21 दि0 06.01.2021 के पत्र की छाया प्रति।

19/01/21
(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-60/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 06.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

मधुप द्विवेदी/Madhup Dwivedi
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम० डी०)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन. एच.24
Opp. Cold Storage Delhi Road N.H. 24
पी० पाकबड़ा, मुरादाबाद-244102 (उ० प्र०)
P.O. Pakbara, Moradabad-244102 (U.P.)

G:\Dk\World\Petrol Pamp.doc

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, बिजनौर